महत्वपूर्ण

संख्या- 08/2016/1149/31-2016-43/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, **लखनऊः दिनांकः 10 मई, 2016**

विषयः- विकास एजेण्डा, वर्ष 2016-17 का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-01/2016/58/31-2016-43/2015 दिनांक 08 जनवरी, 2016 द्वारा शासन के 173 सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को सूत्रों के रूप में चिन्हित करते हुए ''उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा, वर्ष 2016-17'' निर्गत किया गया है।

इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु चिन्हित 53 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों (सूची संलग्नक-1) का लाभ सीधे जनता को उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत जनपद एवं मण्डल स्तर पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा एवं प्रभावी अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा सम्बन्धित विकास प्राथमिकता कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रपत्र निर्धारित कर विभाग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड कराए जाएंगे। चिन्हित कार्यक्रमों के जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

2- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने स्तर पर संलग्नक कार्यक्रमों के प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु गहन समीक्षा करें। जिलाधिकारी द्वारा प्रपत्रों पर प्रगति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सूचना तैयार कराके समीक्षा के उपरान्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त को विलम्बतम प्रत्येक माह की 07 तारीख तक भेजी जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्येक माह की 12 तारीख तक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मण्डलायुक्त द्वारा समीक्षा किए जाने के उपरान्त जिलाधिकारी प्रत्येक माह की 14 तारीख को सायं 5.00 बजे तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट **http://pid.up.nic.in** पर उपलब्ध विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिंक पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। शासन द्वारा प्रत्येक माह की 14 तारीख सायं 5.00 बजे के उपरान्त वेबसाइट को लाक कर दिया जाएगा।

3- एजेण्डा में सम्मिलित बिन्दुओं की महत्ता एवं समीक्षा की गहनता के दृष्टिगत जनपद एवं मण्डल स्तर पर एक बैठक करने के स्थान पर जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार माह में सेक्टर-वार बैठकें निर्धारित कर सम्बन्धित सेक्टर की गहन समीक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार मण्डलायुक्तों द्वारा भी मण्डल स्तर पर सेक्टर-वार विभागों की अलग-अलग बैठकें कर कार्यक्रमों बिन्दुओं की गहन समीक्षा किया जाना श्रेयस्कर होगा। यह आवश्यक नहीं है कि मण्डल स्तर पर सभी सेक्टर-वार बैठकों में जिलाधिकारी उपस्थिति रहें।

4- स्पष्ट करना है कि शासनादेश संख्या-5/2016/1030/31-2016-76/2014 दिनांक 28 अप्रैल, 2016 में दी गई व्यवस्थानुसार प्रत्येक माह की 14 तारीख के उपरान्त अगले 05 दिनों में जनपद एवं मण्डल स्तर पर संचालित कार्यक्रमों की जनपदों से वेबसाइट पर अपलोड की गई प्रगति सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।

5- जिलाधिकारी अथवा मण्डलायुक्त यदि किसी समस्या अथवा विशिष्ट बिन्दु पर शासन/मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हों, तो वे इस सम्बन्ध में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को भी उपलब्ध कराएंगे।

6- पुनः उल्लेख करना समीचीन होगा कि विकास एजेण्डा, वर्ष 2016-17 प्रदेश में समस्त विकास सम्बन्धी गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है तथा इसका कार्यान्वयन शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। एजेण्डा बिन्दुओं पर जनपद/मण्डल द्वारा अर्जित की गई प्रगति को सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त की उपलब्धियों के रूप में भी आंकलित किया जाएगा तथा वार्षिक मूल्यांकन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कि आप द्वारा विकास एजेण्डा पर कितनी सार्थक और परिणामजनक कार्यवाही की गई है।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-8/2016/1149(1)/31-2016-43/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव/सचिव (संलग्नक-2 के अनुसार) उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रपत्रों का निर्धारण कराते हुए दिनांक 20 मई, 2016 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रपत्रों को अन्तिम रूप देकर जनपदों/मण्डलों को प्रेषित किया जा सके। यह भी अपेक्षा है कि जनपद एवं मण्डल स्तर पर चिन्हित कार्यक्रमों (सूची संलग्नक-1) का ससमय कार्यान्वयन हेतु जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कराकर जनपदों को प्रेषित करने का कष्ट करें।

4- तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (राज्य मुख्यालय), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2016/1149(2)/31-2016-43/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

क्र0 सं0	विभाग का नाम
1.	वित्त
2.	खाद्य एवं रसद
3.	ऊर्जा
4.	बाल विकास एवं पुष्टाहार
5.	बेसिक शिक्षा
6.	कृषि
7.	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
8.	महिला कल्याण
9.	माध्यमिक शिक्षा
10.	सिंचाई एवं जल संसाधन
11.	विकलांग कल्याण
12.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
13.	नियोजन
14.	पंचायती राज
15.	पशुधन
16.	श्रम
17.	राजस्व
18.	समग्र ग्राम विकास
19.	समाज कल्याण
20.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
21.	व्यावसायिक शिक्षा
22.	वन
23.	नगर विकास
24.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
25.	आवास एवं शहरी नियोजन
26.	अल्पसंख्यक कल्याण
27.	ग्राम्य विकास
28.	लघु उद्योग
29.	लोक निर्माण
30.	परिवहन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन का एजेण्डा, वर्ष 2016-17 जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु चिन्हित विकास प्राथमिकता कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग
1	2	3
1	प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।	वित्त
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन।	खाद्य एवं रसद
3	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 11 वी पंचवर्षीय योजना एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवंटित कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन।	ऊर्जा
4	ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाना।	ऊर्जा
5	राज्य पोषण मिशन।	बाल विकास एवं पुष्टाहार
6	समाजवादी पौष्टिक आहार योजना।	बेसिक शिक्षा
7	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपूर्ण विद्यालय भवनों को पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जाना।	बेसिक शिक्षा
8	सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्पों की स्थापना किया जाना।	कृषि
9	किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा बीज एवं कृषि यंत्रों का वितरण डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाना।	कृषि
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।	कृषि
11	जनेश्वर मिश्र ग्रामों का विकास।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12	कृषको को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब की स्थापना।	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
13	उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष।	महिला कल्याण
14	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित पुनर्गठित कन्या विद्याधन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	माध्यमिक शिक्षा
15	बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
16	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया जाना।	माध्यमिक शिक्षा
17	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) का प्रभावी कार्यान्वयन।	सिंचाई
18	प्रदेश के समस्त जनपदों में शिविर लगाकर पोलियोग्रस्त सभी बच्चों को चिन्हित कर उनकी सर्जरी कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाना।	विकलांग कल्याण
19	वर्ष 2012 से पूर्व एवं वर्ष 2012 के पश्चात निर्माणाधीन जिला चिकित्सालयों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
20	प्रदेश में समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
21	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
22	आरोग्य निधि जन कल्याणकारी योजना।	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
23	विभिन्न विभागों की परियोजनाओं (लोक निर्माण विभाग को छोड़कर), जिनकी लागत रू0 10.00 करोड़ से अधिक हो का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।	नियोजन
24	आधार कार्ड हेतु नामांकन तथा चयनित केन्द्र पोषित	नियोजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	योजना के लाभार्थियों का डिजिटलाइजेशन तथा आधार कार्ड के साथ लिंकेज का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना।	
25	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।	पंचायती राज
26	उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 का प्रभावी कार्यान्वयन।	पशुधन
27	कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माईक्रो कामधेनु योजना का संचालन।	पशुधन
28	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जाना, निर्माण संस्थाओं पर सेस आरोपित कर संग्रहित किया जाना तथा उसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना।	श्रम
29	क-कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ख-आम आदमी बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	राजस्व
30	तहसील दिवस से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण।	राजस्व
31	डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।	समग्र ग्राम विकास
32	समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों को शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से संबंधित चिन्हित सुविधाओं को बेसिक शिक्षा तथा चिकित्सा एंवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाना।	समाज कल्याण
33	मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
34	एकीकृत बागवानी विकास मिशन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
35	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रदेश के पांच लाख युवाओं को रोजगारपरक कार्यक्रमों में	व्यावसायिक शिक्षा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।	
36	वित्तीय वर्ष में 06 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना तथा गत वर्ष रोपित 05 करोड़ पौधों का रख-रखाव किया जाना।	वन
37	अमृत का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगर विकास
38	आसरा परियोजना (एएसआरए) का प्रभावी कार्यान्वयन।	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
39	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत समाजवादी आवास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	आवास एवं शहरी नियोजन
40	मल्टी-सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम।	अल्पसंख्यक कल्याण
41	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत- क- हैण्डपम्प एवं पाइप वाटर पेयजल योजना। ख- गुणता प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल योजना। ग- बुन्देलखण्ड एवं विध्यांचल में जलाशय आधारित पेयजल योजना। घ- समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना (वाटर ए0टी0एम0)।	ग्राम्य विकास
42	लोहिया ग्रामीण आवास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।	ग्राम्य विकास
43	मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान।	ग्राम्य विकास
44	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''प्रेरणा''।	ग्राम्य विकास
45	इन्दिरा आवास योजना।	ग्राम्य विकास
46	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) का प्रभावी कार्यान्वयन।	ग्राम्य विकास
47	प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार गारंटी योजना लागू किया जाना।	लघु उद्योग
48	समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जाना।	लोक निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

49	क-अधूरे सेतुओं को पूर्ण किया जाना। ख- अधूरे रेल उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया जाना।	लोक निर्माण
50	प्रदेश में कोर रोड नेटवर्क का चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं चक्रानुसार मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
51	प्रदेश के ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण एवं मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
52	प्रदेश के राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग का नवीनीकरण एवं मरम्मत किया जाना।	लोक निर्माण
53	प्रदेश में स्मार्ट कार्ड आधारित वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू किया जाना।	परिवहन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।